



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10042023-245080
CG-DL-E-10042023-245080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]
No. 216]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 10, 2023/चैत्र 20, 1945
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 10, 2023/CHAITRA 20, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2023

संख्या 30/2023- सीमा शुल्क

सा.का.नि. 277(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 55/2022- सीमा-शुल्क, तारीख 31 अक्टूबर, 2022, जो संख्यांक सा.का.नि. 796(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2022, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- क्र. सं. 1 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "1006 10 90" प्रतिस्थापित की जाएगी;
- क्र. सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1क.	1006 10 10	भूसी में चावल (धान या खुरदुरा), बीज की गुणवत्ता का	शून्य	—”;

2. यह अधिसूचना 11 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/55/2023-टीओ(टीआरयू-1)]

अम्रीता टाइटस, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2023

No. 30/2023-Customs

G.S.R. 277(E) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 55/2022-Customs, dated the 31st October 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 796(E), dated the 31st October 2022, namely:-

In the said notification, in the TABLE, -

- against S. No. 1, in column (2), for the entry, the entry “1006 10 90” shall be substituted;
- after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“1A.	1006 10 10	Rice in the husk (paddy or rough), of seed quality	Nil	—” ;

2. This notification shall come into force on the 11th day of April, 2023.

[F. No. CBIC-190354/55/2023-TO(TRU-I)]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.